

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(Vigilance Department)

Our Ref: Vig/10:13/2018-19

21/01.2019

**Sub: Furnishing Annual Immovable Property Return (AIPR) for the year 2018
(as on 01 January 2019) by Group A officers**

The Annual Immovable Property Return (AIPR) for the year 2018 (as on 01 January 2019) are being received from Group 'A' Officers of BIS as per Rule 18(1)(ii) of CCS (Conduct) Rules, 1964.

It has been observed by the Competent Authority that some Group 'A' Officers have written "**not known/no idea**" or **have kept blank the Column 4 of Prescribed Proforma VG-6** i.e. "**Present Value**". This is not acceptable as every column of VG-6 is required to be filled in. If the exact valuation is not available/known, then the approximate valuation has to be indicated.

Further, it has also been observed that some officers are filling in their AIPR as "**None, No change, same as last year**".

The officers are required to mention categorically whatever property they are holding even if it is repetition of the last AIPR submitted or 'NIL', whichever the case may be.

It is brought to the notice of all such concerned officials to re-submit their AIPR at the earliest in compliance with the observation of the Competent Authority. The officers, who have yet to submit their AIPR, are also requested to take cognizance of the above mentioned observations and fill in their AIPRs accordingly as per rules.


Scientist-E (Vigilance)

Circulated to all Departments/Sections at HQrs, Training Institute-Noida, CL and Regional/Branch/Inspection Offices of BIS

Copy to H(ITS) to host on BIS-Intranet

भारतीय मानक ब्यूरो
(सतर्कता विभाग)

हमारा संदर्भ :सतर्कता/10:13/2018-19


.01.2019

विषय : समूह क के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2018 (01 जनवरी 2019 तक) की वार्षिक
अचल संपत्ति विवरणी (एआईपीआर)भेजने के संबंध में ।

सीसीएस(आचरण) नियम, 1964 के नियम 18(1)(ii) के अनुसार बीआईएस के समूह क के अधिकारियों की वर्ष 2018 (01 जनवरी 2019 तक) की वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी प्राप्त हुई हैं।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह पाया गया है कि समूह क के कुछ अधिकारी "जानकारी नहीं/पता नहीं" लिखा है या वीजी-6 के निर्धारित प्रपत्र के कॉलम 4 अर्थात् "वर्तमान मूल्य" को खाली छोड़ दिया गया है। यह स्वीकार्य नहीं है वीजी-6 के सभी कॉलम को भरा जाना आवश्यक है। यदि सही मूल्य उपलब्ध /पता नहीं है , तो अनुमानित मूल्य दर्शाएं। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि कुछ अधिकारी अपनी एआईपीआर में "नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, पिछले वर्ष के समान" भरते हैं।

अधिकारियों के पास जो भी संपत्ति है उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करना आवश्यक है, भले ही वह पिछली एआईपीआर की पुनरावृत्ति हो या 'शून्य', जो भी मामला हो। यह उन सभी संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी के अवलोकन का अनुपालन करते हुए जल्द से जल्द अपनी एआईपीआर को पुनः जमा करें। जिन अधिकारियों को अभी अपनी एआईपीआर जमा करनी है, उनसे भी अनुरोध है कि वे उपर्युक्त टिप्पणियों का संज्ञान लें और नियमानुसार अपनी एआईपीआर भरें।


वैजा. एफ(सतर्कता) 23/11

मुख्यालय के सभी विभागों /अनुभागों, प्रशिक्षण संस्थान - नोएडा, सीएल और क्षेत्रीय/शाखा/बीआईएस के निरीक्षण कार्यालय को परिचालित

बीआईएस-इंटरनेट पर होस्ट करने के लिए प्रमुख(आईटीएस) को प्रति।